

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

सं0सं0-05/स्था0-02/2017

/पटना दिनांक.....

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-07.01.2017 को सम्पन्न बैठक में श्री सन्नी कुमार पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर (मु0 कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना-कासिम बाजार, पो0-एवं जिला-मुंगेर) को समुह 'ग' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में श्री सन्नी कुमार, पुत्र-स्व0 सुरेन्द्र राम, परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर को बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, 2013 के संगत प्रावधानों के आलोक में समूह 'ग' के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध लेवल-2 (अपुनरीक्षित पे बैंड रू0-5200-20200 ग्रेड पे0 रू0-1900/-) में अनुमान्य भतों सहित, अस्थायी रूप से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है :-

2. स्व0 सुरेन्द्र राम, तत्कालीन परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री सन्नी कुमार पर होगा।

3. श्री सन्नी कुमार, पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दस दिनों के अन्दर असैनिक शल्य चिकित्सक से प्राप्त कर परिवहन विभाग मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. योगदान करने हेतु श्री कुमार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

5. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा।

6. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाण-पत्र/जालसाजी/धोखाघड़ी के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई है तो श्री कुमार को अविलम्ब सेवा मुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं0सं0-05/स्था0-02/2017

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 25 अतिरिक्त प्रतियाँ परिवहन विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं0सं0-05/स्था0-02/2017

1384

पटना दिनांक.....

15/2/19

प्रतिलिपि:-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सरकार उप के उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर के पत्रांक-11 दिनांक-07.01.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
आदेश

सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

/पटना दिनांक.....

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-०७.०१.२०१७ को सम्पन्न बैठक में श्री सन्नी कुमार पुत्र स्व० सुरेन्द्र राम, परिचारी मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर (मु० कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना-कासिम बाजार, पो०-एवं जिला-मुंगेर) को समुह 'ग' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में श्री सन्नी कुमार, पुत्र-स्व० सुरेन्द्र राम, परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर को बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, २०१३ के संगत प्रावधानों के आलोक में समूह 'ग' के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध लेवल-२ (अपुनरीक्षित पे बैंड रू०-५२००-२०२०० ग्रेड पे० रू०-१९००/-) में अनुमान्य भतों सहित, अस्थायी रूप से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है :-

२. स्व० सुरेन्द्र राम, तत्कालीन परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री सन्नी कुमार पर होगा।

३. श्री सन्नी कुमार, पुत्र स्व० सुरेन्द्र राम अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दस दिनों के अन्दर असैनिक शल्य चिकित्सक से प्राप्त कर परिवहन विभाग मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

४. योगदान करने हेतु श्री कुमार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

५. इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा।

६. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाण-पत्र/जालसाजी/धोखाघड़ी के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई है तो श्री कुमार को अविलम्ब सेवा मुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की २५ अतिरिक्त प्रतियाँ परिवहन विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सरकार उप के उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर के पत्रांक-११ दिनांक-०७.०१.२०१७ के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-


राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-05/स्था0-02/2017

1384

पटना दिनांक.....15/11/19

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर परिवहन विभाग को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15/11/19
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

/पटना दिनांक.....

जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक-०७.०१.२०१७ को सम्पन्न बैठक में श्री सन्नी कुमार पुत्र स्व० सुरेन्द्र राम, परिचारी मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर (मु० कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना-कासिम बाजार, पो०-एवं जिला-मुंगेर) को समुह 'ग' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी। इस अनुशंसा के आलोक में श्री सन्नी कुमार, पुत्र-स्व० सुरेन्द्र राम, परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर को बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं शर्त) नियमावली, २०१३ के संगत प्रावधानों के आलोक में समूह 'ग' के अन्तर्गत निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरुद्ध लेवल-२ (अपुनरीक्षित पे बैंड रू०-५२००-२०२०० ग्रेड पे० रू०-१९००/-) में अनुमान्य भतों सहित, अस्थायी रूप से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति किया जाता है :-

- स्व० सुरेन्द्र राम, तत्कालीन परिचारी, मोटरयान निरीक्षक कार्यालय, मुंगेर के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण पोषण का दायित्व श्री सन्नी कुमार पर होगा।
- श्री सन्नी कुमार, पुत्र स्व० सुरेन्द्र राम अपना स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र दस दिनों के अन्दर असैनिक शल्य चिकित्सक से प्राप्त कर परिवहन विभाग मुख्यालय में योगदान समर्पित करेंगे। निर्धारित समय-सीमा के अन्दर योगदान नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
- योगदान करने हेतु श्री कुमार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- इन्हें एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेना होगा।
- यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि किसी प्रकार की गलत सूचना/प्रमाण-पत्र/जालसाजी/धोखाघड़ी के आधार पर नौकरी प्राप्त की गई है तो श्री कुमार को अविलम्ब सेवा मुक्त करते हुए नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की २५ अतिरिक्त प्रतियाँ परिवहन विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं०सं०-०५/स्था०-०२/२०१७

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सरकार उप के उप सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, मुंगेर के पत्रांक-११ दिनांक-०७.०१.२०१७ के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-05/स्था0-02/2017

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-आई0टी0मैनेजर परिवहन विभाग को विभागीय बेवसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- सं0सं0-05/स्था0-02/2017 1384

पटना दिनांक.....

प्रतिलिपि:-श्री सन्नी कुमार, पुत्र स्व0 सुरेन्द्र राम, कासिम बाजार, मोकवीरा, थाना-कासिम बाजार,
पो0+जिला-मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15/7/15
राज्य परिवहन आयुक्त
बिहार, पटना।